तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामी
6/12/22	पत्रावली आज पेश हुयी। उभयपक्ष वकील उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद मनन / अवलोकन यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना - पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना - पत्र न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम करते हुये दाखिल दफ्तर की जाती है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.12.15 15:11:27 IST
Reason: SelfAttested